



## आवेदन-पत्र की पात्रता एवं शर्ते

1. राजकीयकृत उच्च विद्यालय के सहायक शिक्षक, लिपिक, राजकीय विद्यालयों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में कार्यरत अवर शिक्षा सेवा सम्वर्ग के शिक्षकों/पदाधिकारियों, केन्द्रीय सम्वर्ग के लिपिकों, क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत लिपिक आवेदन हेतु अहर्ता धारण करते हैं ।
2. बिहार राज्य के शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत राजकीय/ राजकीयकृत उच्च विद्यालय के सहायक शिक्षक/ लिपिक, केन्द्रीय सम्वर्ग के लिपिक, क्षेत्रीय कार्यालय के लिपिक एवं अवर शिक्षा सेवा के पदाधिकारी के अतिरिक्त कोई भी पदाधिकारी / कर्मचारी आवेदन हेतु अर्हता धारण नहीं करते हैं ।
3. आवेदन-पत्र पूर्ण रूप से भरकर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में दिनांक 16.06.2018 के संध्या 5 बजे तक जमा करेंगे ।
4. नियोजित शिक्षक आवेदन हेतु अहर्ता धारण नहीं करते हैं ।
5. फोटोग्राफ नियंत्री पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित होना आवश्यक है।
6. आवेदन-पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे ।
7. आधे-अधूरे आवेदन-पत्र अथवा सीधे परिषद कार्यालय को भेजा गया आवेदन पत्र बिना किसी पत्राचार के रद्द कर दिया जाएगा ।
8. विभागीय परीक्षा हेतु परिषद् द्वारा प्रकाशित पूर्व वर्षों का आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा ।